न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।

जी. आर. न0–800/2019

ओबरा थाना कांड संख्या–266/2019

अभियोजन की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री मनोज कुमार (अ0 पदाधिकारी) ।
बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता :– श्री मुकेश कुमार ।

02.07.2020 कारादीन अभियुक्त मंगल राम उर्फ हनुमान राम की ओर से ई–फायलिंग के तहत शक्ति पत्र के साथ जमानत आवेदन दाखिल किया गया । जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अभियोजन पदाधिकारी को दी गई । आवेदक की ओर से चिकित्सीय पुरजा की छायाप्रति दाखिल किया गया है ।

वाद पुकार पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपरोक्त जमानत आवेदन के आलोक में निवेदन करते है कि आवेदक सर्वथा निर्दोष है । आवेदक की ओर से उक्त जमानत आवेदन के अलावा किसी अन्य न्यायालय में जमानत आवेदन दाखिल नही किया है और न ही लंबित है । प्राथमिकी में जैसा कहा गया है, वैसी कोई बात नही है । आवेदक के उपर लगाये गये धारा लागू नही होता है क्योंकि आवेदक के पास से किसी भी प्रकार का पिस्टल या गाली की बरामदगी नही हुई है । आवेदक को नाहक पुलिसीया धौंस के कारण फंसाया गया है । आवेदक के उपर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य नही है । आवेदक दिनांकः–13.10.2019 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अतः आवेदक को किसी भी राशि का जमानत दिया जाय ।

विद्वान अभियोजन पदाधिकारी जमानत का विरोध करते हैं ।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सविस्तार सुना, अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित होता है कि उक्त वाद की प्राथमिकी धारा **25(1-b)a/26/35** शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किया गया है । संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि उक्त वाद के अन्य अभियुक्त रोहित कुमार उर्फ गुड्डु कुमार दाउदनगर थाना कांड संख्या–302/2019 के अप्राथमिकी अभियुक्त है, जिसके घर पुलिस पहुँचा तथा उसके घर की तलासी लिया गया तो अभियुक्त रोहित कुमार उर्फ गुड्डु कुमार के घर से पैसे की बरामदगी हुई जो दाउदनगर थाना कांड संख्या–302/2019 से संबंधित है । पूछताछ के दौरान अभियुक्त रोहित कुमार उर्फ गुड्डु कुमार के द्वारा बताया गया कि उसके पास एक हथियार जो थर्नेट है वह मंगल राम उर्फ हनुमान को रखने के लिए दिया है । उक्त कथानक के आलोक में उक्त अभियुक्त मंगल राम उर्फ हनुमान के घर पुलिस द्वारा तलाशी के क्रम में एक हथियार (थर्नेट) एवं एक जिंदा कारतूस की बरामदगी हुई है । आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त है । अनुसंधानक के द्वारा आवेदक के विरूद्ध धारा **25(1-b)a/26/35** शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत आरोप पत्र समर्पित कर दिया है । आवेदक के विरूद्ध गम्भीर आरोप है । अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के अवलोकनार्थ तथा आरोपित अपराध की प्रकृति एवं गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत की सुविधा प्रदान करना समीचीन प्रतीत नहीं होता है । ऐसी स्थिति में उपरोक्त आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल जमानत आवेदन खारिज किया जाता है ।

प्र0 अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।